ऋण वसूली अधिकरण – II,
दिल्ली के समक्षीचौथी मंज़िल, जीवन तारा बिल्डिंगसंसद स्ट्रीट, नई दिल्ली – 110001

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना (ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम), 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित), निम्नलिखित मामले के संबंध में

OA संख्या 1061/2025 दिनांक: 14.09.2026

ड्यूश बैंक AG ...आवेदक

बनाम

M/S वल्लभी इंजीनियरिंग सर्विसेज़ LLP और अन्य ...प्रतिवादी

(1) M/S वल्लभी इंजीनियरिंग सर्विसेज़ LLP और अन्य (शुक्ला) पता: वल्लभी इंजीनियरिंग सर्विसेज LLP इसके पार्टनर श्री गीत शुक्ला और श्रीमती अनुपम शुक्ला के माध्यम से, बेसमेंट A-91, ट्रांसपोर्ट नगर, सेक्टर 69, नोएडा, GB नगर, UP 201301 **(2) गीत शुक्ला, पुत्र श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला** फ्लैट नंबर 10064, प्लॉट नंबर GH03, 16th एवेन्यू, गौर सिटी II, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201009 **(3) अनुपम शुक्ला, पत्नी श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला** फ्लैट नंबर 10064, प्लॉट नंबर GH03, 16th एवेन्यू, सेक्टर 16C, गौर सिटीII, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201009

चूंकि ऊपर बताए गए आवेदक/आवेदकों ने आपके खिलाफ **₹23,72,698.80 (तेईस लाख बहत्तर हज़ार छह सौ अट्ठानवे रुपये और अस्सी पैसे)** की वसूली के लिए मामला दायर किया है, और चूंकि ट्रिब्यूनल को यह संतुष्टि हो गई है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए यह नोटिस विज्ञापन के माध्यम से दिया जा रहा है। इसमें आपको निर्देश दिया जाता है कि आप **18.01.2027 को सुबह 11:00 बजे** ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों।

ध्यान दें कि यदि आप बताए गए दिन उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई और फैसला आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आमने-सामने (फिजिकल) होगी और इसके लिए:

(I) सभी वकीलों/मुकदमेबाजों को "Cisco Webex" एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा:

(II) माननीय पीठासीन अधिकारी/ रजिस्ट्रार द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सुनवाई की तारीख के लिए "मीटिंग I D" और पासवर्ड D R T के आधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर रोज़ाना की कॉज़ लिस्ट (cause list) में दिखाए जाएंगे।

(III) किसी भी आपात स्थिति में वकील / मुकदमेबाज़ संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं। यह ट्रिब्यूनल की मुहर और मेरे हस्ताक्षर के साथ 14 सितंबर, 2026 को जारी किया गया।

ट्रिब्यूनल के आदेश से,
प्रशासनिक अधिकारी, DRT-II, दिल्ली

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-I, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

और

के मामले में

तुशांक एंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : हाउस नं. 415, तीसरा फ्लोर, सैनिक विहार, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली–110034 में स्थित है

...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 10 अगस्त, 2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय-I, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

हाउस नं. 415, तीसरा फ्लोर, सैनिक विहार, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली–110034

कृते की ओर से
तुशांक एंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
दिनेश गर्ग
(निदेशक)
डीआईएन : 01843639

दिनांक : 24.09.2026
स्थान : नई दिल्ली

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8–(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक माँग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। "उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागत, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल–एचएफएल" को देय धनराशियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराशि (रु.)	माँग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि
श्री प्रमोद भारती श्रीमती दीप माला (प्रास्पेक्ट नं.: **IL10013032**)	यूनिट नं.– I–3–27/आभा, पार्थ रिपब्लिक, मीरानपुर पिनवट, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, 226001 का संपूर्ण हिस्सा तथा भूखंड। क्षेत्राधिमापन (वर्ग फुट में) : संपत्ति प्रकार : कारपेट–एरिया, संपत्ति क्षेत्रफल : 362.85	रु. 646480.00/– (रुपये छह लाख छियालीस हजार चार सौ अस्सी मात्र)	09/06/2026	22/09/2026
श्री राम खिलावन श्रीमती विद्या वती (प्रास्पेक्ट नं.: 821192)	टावर–ई–12–9/आशा (ईडब्ल्यूएस), मीरानपुर पिनवट, कानपुर रोड, लखनऊ, लखनऊ, 226001, उत्तर प्रदेश, भारत का संपूर्ण हिस्सा तथा भूखंड। क्षेत्राधिमापन (वर्ग फुट में) : संपत्ति प्रकार : कारपेट–एरिया, संपत्ति क्षेत्रफल : 305.37	रु. 180519.00/– (रुपये एक लाख अस्सी हजार पांच सौ उन्नीस मात्र)	09/06/2026	22/09/2026

अन्य विवरणों के लिये कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय : 1017, 10वाँ तल, साइबर हाइट्स, टीसी 2/2 तथा टीसी 5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 पर अथवा कार्पोरेट कार्यालय : आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज–**IV**, गुड़गाँव, हरियाणा से संपर्क करें।

स्थान : लखनऊ दिनांक : 26–09–2026 हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

फॉर्म नं. 14

[विनियम 33(2) देखें]

पंजीकृत द्वारा ए/डी, दस्ती ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा

वसूली अधिकारी कार्यालय – I / II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

मांग सूचना

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

टीआरसी/2550/2022 | 21.09.2026

कैनरा बैंक
बनाम
सुनीता विजय और अन्य

को,

(सीडी1) सुनीता विजय, एकमात्र प्रोप. मैसर्स खुशी ट्रेडर्स, आरजेड–53, खसरा नंबर 20/19, जैन कॉलोनी पार्ट–III, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 **यहां भी:** टी–21, जैन कॉलोनी, पार्ट–I, उत्तम नगर, दिल्ली–110059

(सीडी2) मंजू पत्नी देविंदर प्रकाश विजय, टी–21, हाउस नंबर 1 से 60, जैन कॉलोनी पार्ट–I, उत्तम नगर, दिल्ली – 110059

(सीडी3) महिंदर प्रकाश विजय पुत्र हनुमान दास विजय, टी21, जैन कॉलोनी, पार्ट–I, उत्तम नगर, दिल्ली–110059

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (DRT 1) द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार **रु. 1,45,62,242.70 (एक करोड़ पैंतालीस लाख बासठ हजार दो सौ बयालीस रुपये और सत्तर पैसे मात्र)** की राशि, साथ ही 04/09/2020 से वसूली तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मुकदमे की शुरुआत से लेकर भविष्य का ब्याज और रु. 1,48,000 (एक लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र) की लागत, आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से / पूर्णतः / सीमित) देय हो गई है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी। 3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है। 4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **03.11.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों। 5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है। **(ख)** इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक **21.09.2026** को दिया गया।

रविंदर कुमार तोमर, वसूली अधिकारी – I
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)

मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः एसडी–65, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

CIN: L67120DL1981PLC179487

ई-मेल आईडीः cs@maxheights.com, **फोन नं.:** 011–27314646, 27312522

कंपनी की पैंतालीसवीं (45वीं) वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, की धारा 96, 108 और अन्य लागू प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित, और समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमन, 2015 के लागू नियमों के अनुपालन में, ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों से मंजूरी मांगी गई थी। कंपनी ने सदस्यों को 25 अगस्त, 2026 दिनांकित पैंतालीसवीं (45वीं) वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में प्रस्तावित साधारण/विशेष प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए ई-वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान की थी।

बोर्ड ने ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सहकर्मी-समीक्षित प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव फर्म, मेसर्स देवेंद्र सिंह एंड एलायंस के प्रोप्राइटर श्री देवेंद्र सिंह को स्क्रूटनाइजर नियुक्त किया था।

स्क्रूटनाइजर ने उसकी प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे तक प्राप्त सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटों तथा एजीएम में की गई ई-वोटिंग की जांच की है और शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को कंपनी के निदेशक मंडल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड ने परिणाम निम्नानुसार घोषित किए हैं:

क्र. सं.	प्रस्तावों का विवरण	प्रस्तावों के पक्ष में पड़े कुल वैध मतों का प्रतिशत (%)
1	वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाने के लिए साधारण प्रस्ताव	99.94%
2	श्रीमती मानसी नारंग (DIN: 07089546) को निदेशक के रूप में नियुक्त करने का साधारण प्रस्ताव, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए देनदार हैं	99.92%
3	सुश्री कोनिका अरोड़ा (DIN: 11800800) को कंपनी की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने का विशेष प्रस्ताव	99.92%

स्क्रूटनाइजर की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी की 45वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों को शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को सदस्यों द्वारा अपेक्षित बहुमत के साथ विधिवत स्वीकृत मान लिया गया है।

स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://www.maxheights.com, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://www.skylinerta.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते, मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
हस्ता./–
सोनाली माथुर
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं.: F13821

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.09.2026

परिशिष्ट -IV–ए - अचल संपत्ति/ संपत्तियों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

pnb Housing

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी-बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित।

रजि. कार्यालयः 9वीं मंजिल अंतरिक्ष भवन 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001 फोनः 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालयः हरिद्वार मेन रोड, अरबिंदो आश्रम के पास, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड– 249407

आम जनता को, और विशेष रूप से कॉलम संख्या–ए में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां), जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है और जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कि कॉलम संख्या–सी में वर्णित है) मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार "जैसा है, जहां है, जो है और जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता(ओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(यों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(ओं) के उत्तराधिकारियों को, जैसा कि सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम–8 (6) और 9 के कॉलम संख्या–ए में दर्शाया गया है (दिनांक के अनुसार संशोधित), एतद्वारा सूचित किया जाता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता,/गारंटर/ कानूनी उत्तराधिकारी (ए)	मांग की गई राशि एवं दिनांक (बी)	कब्जे की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10प्रतिशत) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धिशील दर(एच)	निरीक्षण दिनांक एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात अतिक्रमण/न्यायालय मामला यदि कोई हो (के)
HOU/HWR/1222/1057059 शुभम गोसाई /नीलम रावत, बी.ओ.: .: हरिद्वार	रु. 21,60,260.28/– और 10.06.26	भौतिक	प्लॉट नं. 54 के एक भाग पर स्थित आवासीय मकान का समस्त भाग, जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है, खसरा नं. 355, गणपति धाम फेज 3, ग्राम जमालपुर कलां, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत–249407 में स्थित है। सीमाएंः पूर्वः खीमा देवी के प्लॉट नं. भ54 का शेष भाग, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट नं. एच55, दक्षिणः प्लॉट नं. एच53 पर निर्मित मकान।	रु. 2074000	रु. 207400	29.10.2026	रु. 10000/–	15–10–2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	30.10.2026 दोपहर 2 बजे से शाम 3:00 बजे तक	शून्य/ज्ञात नहीं

"अधिग्रहण और/या उसकी प्राप्ति की तिथि तक हुए 18% की दर से अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ। "पीएन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या–के में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य भार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे भारों का भुगतान सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा स्वयं किया जाएगा। भावी क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लिखित भारों की सत्यता की स्वतंत्र रूप से जाँच करें। (1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या–के में उल्लिखित है। (2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या–के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। (3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75: बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, प्राधिकृत अधिकारी 15 दिनों के भीतर बिक्री प्रतिफल राशि का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लिखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम (4.) मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी को ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री आयोजित करने में सहायता करेगी। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तिसरी मंजिल , सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में स्थित है। वेबसाइट – www.bankeauctions.com। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, **आपको श्री. मुकेश विश्नोई, से संपर्क करना होगा। टोल फ्री नंबर – 1800 120 8800, ईमेलः auction@pnbhousing.com, जो पीएनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति हैं, या www.pnbhousing.com देखें।**

स्थानः– .: हरिद्वार,, दिनांकः – 25.09.2026 **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

आरबीएल बैंक लिमिटेड.

RBL BANK apno ka bank (Subsidiary of Emirates NBD Bank PJ.S.C.)

पंजीकृत कार्यालयः : प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर–416001
आंचलिक कार्यालयः द्वितीय तल, ग्लोबल स्टार बिल्डिंग, ए–15, ब्लॉक ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली–110016

परिशिष्ट 4 (नियम-8 (1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आरबीएल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 15 जून, 2026 जारी की थी, जिसमें **मधुसूदन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ("कर्जदार और दृष्टिबंधकदाता") ; गारंटर नामतः रवि शंकर अग्रवाल, उषा अग्रवाल, रमा शंकर, रेणु अग्रवाल, रचित अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल और बंधकदाता नामतः श्री विष्णु निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, कर्जदार, बंधकदाता और गारंटर से सूचना में वर्णितानुसार 31.05.2026** तक बकाया राशि आईएनआर **2,57,16,676.40 (दो करोड़ सत्तावन लाख सोलह हजार छह सौ छिहत्तर रुपये और चालीस पैसे केवल)** उस पर 01.06.2026 से आगे ब्याज, साथ ही ऋण और सुरक्षा दस्तावेजों के अनुसार दंड और अन्य ब्याज और राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार, बंधकदाता और गारंटर राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए कर्जदार, गारंटर, बंधकदाता और आम जनता को सूचना दी जाती है कि आरबीएल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में मैंने अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **25 सितंबर, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

कर्जदार, गारंटर, विशेष रूप से बंधकदाता और आम जनता को संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार करने के प्रति सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आरबीएल बैंक लिमिटेड की 31.05.2026 तक बकाया राशि **आईएनआर 2,57,16,676.40 (दो करोड़ सत्तावन लाख सोलह हजार छह सौ छिहत्तर रुपये और चालीस पैसे केवल)** उस पर 01.06.2026 से आगे ब्याज, साथ ही ऋण और सुरक्षा दस्तावेजों के अनुसार दंड और अन्य ब्याज और राशि चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

नीचे वर्णित कर्जदार, गारंटर, बंधकदाता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार, सह-कर्जदार/गारंटर/ बंधकदाता का नाम और पता	बकाया राशि रु. में	मांग सूचना की तिथि कब्जा की तिथि
1. मधुसूदन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार और दृष्टिबंधकदाता) पंजीकृत पताः बी–5 लॉयर्स कॉलोनी, आगरा, यूपी, भारत 282002 अन्य पता : बी–5 लॉयर्स कॉलोनी, बाई पास रोड, दयाल बाग, आगरा, यूपी भारत 282005, 2. रवि शंकर अग्रवाल, 83, ओल्ड वी.एन. कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश, 282004 अन्य पता : 20, न्यू विजय नगर कॉलोनी, आगरा उत्तर प्रदेश, 3. उषा अग्रवाल, 83, ओल्ड, वी.एन. कॉलोनी, आगरा, 282004, 4. रमा शंकर, 22/24, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी आगरा–282004, 5. रेनू अग्रवाल, 22/24, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा, यूपी–282004, 6. रचित अग्रवाल, 22/24, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी आगरा, यूपी–282004, 7. अनुराग अग्रवाल, 22/24, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा–282004 क्रमांक 2 से 7 को एक साथ "गारंटर" कहा गया है, 8. श्री विष्णु निर्माण प्राइवेट लिमिटेड (बंधकदाता) पंजीकृत कार्यालय : 83, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी आगरा, यूपी–282004	आईएनआर 2,57,16,676.40 (दो करोड़ सत्तावन लाख सोलह हजार छह सौ छिहत्तर रुपये और चालीस पैसे केवल) 31.05.2026 तक बकाया और 01.06.2026 से उस पर और ब्याज, साथ ही पूरा भुगतान और/या वसूली तक ऋण और प्रतिभूति दस्तावेज के अनुसार दंड और अन्य ब्याज और राशि	15–06–2026 / 25–09–2026

अचल संपत्ति का विवरण	स्वामी
भूमि परिमाप लगभग 0.3234 हेक्टेयर = 34810 वर्ग फीट खाता संख्या 189, खसरा संख्या 783 का अंश, जोपुरा, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः राजेंद्र मल्होत्रा घ्धका प्लॉट, दक्षिणः अन्य की संपत्ति, पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः सड़क साथ ही हर प्रकार की ऐसी संरचनाएं जो मौजूद हैं, बनाई गई हैं या उससे जुड़ी हैं या इसके द्वारा गठित प्रतिभूति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय बनाई जाएंगी और खड़ी की जाएंगी या उक्त भूमि और परिसर या उसके किसी हिस्से से जुड़ी होंगी और साझा क्षेत्रों और सुविधाओं और उससे जुड़ी प्रासंगिक चीजों के इस्तेमाल के सभी अधिकार, साथ में सभी पेड़, बाड़, हेजेज, खाइयां, रास्ते, सीवर, नालियां, पानी, जलमार्ग, स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, सुख–सुविधाएं और उक्त भूमि, विरासत या परिसर या उसके किसी हिस्से से जुड़ी कोई भी संलग्नता, चाहे वह वर्तमान में हो या भविष्य में हो, उससे संबंधित हो या किसी भी तरह से उससे जुड़ी हो और बंधकदाता की उसमें और उस पर सभी संपदा, विवरण में ऊपर बताए गए विवरण की सभी संपत्तियां शामिल होंगी, चाहे वे वर्तमान में मौजूद हों, बनाई गई हों या बाद में खरीदी गई हों।	श्री विष्णु निर्माण प्राइवेट लिमिटेड

स्थान : आगरा, उत्तर प्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 25–09–2026 **आरबीएल बैंक लिमिटेड**

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजी. कार्यालय : प्लॉट – 15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122002

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (इसमें आगे "नियमावली" कही गयी है) के नियम 8(5) एवं नियम 9(1) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (इसमें आगे प्रत्याभूत लेनदार कही गई है) के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा प्रतिभूत लेनदार, पंजीकृत कार्यालय पता : छठा तल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44, गुरूग्राम–122002 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह–कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे वर्णित तिथि को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित स्थान पर की जाएगी।

ऋण खाता नंबर/ एपी नंबर और कर्जदार(रों) /सह–कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि और राशि	कब्जा की तिथि और प्रकार	सुरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 14–10–2026 (निरीक्षण का समय : पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक
HLGSVLONS000005177674/ AP-10398975 श्रीमती सोनाली नायक एवं श्री जिगर सिंह चरण	13–अप्रैल–2026 रु. 7,71,242/– (रुपये सात लाख इकहत्तर हजार दो सौ बयालीस मात्र) **बोली वृद्धि राशि : 10,000/–**	भौतिक कब्जा 13–08–2026; कुल बकाया राशि रु. 7,71,242/– (रुपये सात लाख इकहत्तर हजार दो सौ बयालीस मात्र) दिनांक 13 अप्रैल 2026 तक बकाया,	रु. 5,88,000 (रू. पांच लाख अठासी हजार मात्र); **धरोहर राशि जमा (ईएमडी)** रु. 58,800/– (रू. अठ्ठावन हजार आठ सौ मात्र)	ईएमडी जमा की अंतिम तिथि 15–10–2026; नीलामी की तिथि एवं समय 16–10–2026 (नीलामी समय : पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक)

अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन : संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर एस–4, द्वितीय तल, एचआर रेजिडेंसी, प्लॉट नंबर प–9, मंगलम सिटी एक्सटेंशन, ग्राम पिथावास और निवारू (हतोज), कलवाड़ रोड, जयपुर, राजस्थान, 302012 सीमाएँः– पूर्वः प्लॉट नंबर 1–4, पश्चिमः– रोड 30 फीट चौड़ी, उत्तरः– प्लॉट नंबर 1–8, दक्षिणः– प्लॉट नंबर 1–10

ईएमडी जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान : पी.नं. 101/171, प्रथम तल, सेक्टर–10, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, एचडीएफसी बैंक के पास सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, पिन– 302033

भुगतान की विधि : सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा करना होगा।

अतिरिक्त विवरण तथा पूछताछ के लिए, कृपया संलग्न नीलामी बिक्री सूचना अथवा हमारी वेबसाइट www.indiashelter.in देखें अथवा प्राधिकृत अधिकारी श्री आदित्य हरसाना, (7014698852) से सम्पर्क करें

स्थान : राजस्थान दिनांक : 24–सितम्बर–2026 **वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड**

रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड

RAMA BUILD WITH TUBES

सीआईएएन : L27201DL1974PLC007114
पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नंबर 1 और 2, ए–15, तीसरी मंज़िल, स्वास्थ्य विहार, नई दिल्ली – 110092
कॉर्पोरेट कार्यालयः ए–98, सेक्टर 136, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
फ़ोनः +(91)–(120)–4688766; ईमेलः investors@ramasteel.com
वेबसाइटः www.ramasteel.com

असाधारण आम बैठक (ईजीएम) और ई–वोटिंग की जानकारी के बारे में सदस्यों को सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी) / अन्य ऑडियो–विज़ुअल माध्यमों ("ओएवीएम ") के ज़रिए आयोजित की जाएगी, ताकि ईजीएम की सूचना में बताए गए कामकाज पूरे किए जा सकें। वीसी /ओएवीएम के ज़रिए ईजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 103 के तहत कोरम (गणपूर्ति) के उद्देश्य से गिना जाएगा।

एक्ट और उसके तहत बने नियमों, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015, जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 (8 अप्रैल, 2020) और 17/2020 (13 अप्रैल, 2020) और अन्य संबंधित सर्कुलर (जिनमें सबसे नया जनरल सर्कुलर नंबर 03/2025, 22 सितंबर, 2025 है– जिन्हें "एमसीए सर्कुलर" कहा गया है) और इस संबंध में जारी सेबी सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार, ईजीएम का नोटिस शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है जिनके ईमेल पते कंपनी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास ऊपर बताए गए एमसीए सर्कुलर और सीबी सर्कुलर के अनुसार रजिस्टर्ड थे। इसके अलावा,अगर किसी सदस्य को ईजीएम के नोटिस की हार्ड कॉपी चाहिए,तो वे कंपनी को investors@ramasteel.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ईजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.ramasteel.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (जैसे बीएसई लिमिटेड –www.bseindia.com] नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड – www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

एक्ट की धारा 108 और कंपनीज़ (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, 2014, सेबी(एलओडीआर) रेगुलेशंस के रेगुलेशन 44, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड–2 और एमसीए सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने सदस्यों को ईजीएम के नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग (ईजीएम से पहले) और ई–वोटिंग (ईजीएम के दौरान) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की सुविधा दी है। ईजीएम के नोटिस में रिमोट ई–वोटिंग, ईजीएम में ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के ज़रिए ईजीएम में शामिल होने के निर्देशों की पूरी प्रक्रिया और तरीका बताया गया है।

वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा दी जाएगी। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

i. ईजीएम नोटिस में बताए गए कामकाज ई–वोटिंग के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करके पूरे किए जाएंगे।

ii. सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कट–ऑफ तारीख यानी **बुधवार, 14 अक्टूबर 2026** को कंपनी की पेड–अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कट–ऑफ तारीख को कंपनी का सदस्य रहने वाला कोई भी व्यक्ति ईजीएम नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग या ईजीएम में ई–वोटिंग के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने का पात्र है।

iii. जिस व्यक्ति का नाम **कट–ऑफ तारीख यानी बुधवार, 14 अक्टूबर 2026** को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वही रिमोट ई–वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति ईजीएम नोटिस भेजे जाने के बाद लेकिन कट–ऑफ तारीख यानी बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बनता है, तो वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड पाने के लिए evoting@nsdl-com पर ईमेल कर सकता है।

iv. रिमोट ई–वोटिंग **रविवार, 18 अक्टूबर 2026 (सुबह 9.00 बजे)** को शुरू होगी और **मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 (शाम 5.00 बजे)** को खत्म होगी। इस दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उसे बाद में अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

V. इस दौरान, फिजिकल या डीमटेरियलाइज्ड (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के ज़रिए अपना वोट डाल सकते हैं।

vi. सदस्यों को ईजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा दी जाएगी और जो सदस्य ईजीएम में शामिल हो रहे हैं और जिन्होंने ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के ज़रिए वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम में वोट देने के पात्र होंगे।

vii. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के ज़रिए वोट दिया है, वे ईजीएम में शामिल होने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे ईजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

viii. कंपनी ने पूरी ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए मैसर्स अरुण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली को स्क्रूटिनाइज़र के तौर पर नियुक्त किया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम नोटिस में छपे ई–वोटिंग से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी सवाल के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए "अक्सर पूछे जाने वाले सवाल" (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूज़र मैनुअल देख सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आप 022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे (डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, नमन चैंबर, प्लॉट सी–32, जी –ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400051) को तय ईमेल पते evoting@nsdl.com पर या टेलीफोन नंबर 022–4886 7000 पर अनुरोध भेज सकते हैं।

कृते रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
(नरेश कुमार बंसल)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 26.09.2026

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल)

Arcil

विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए

एआरसीआईएल कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400 028।

वेबसाइट : https://auction.arcil.co.in; CIN-U65999MH2002PLC134884

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (सरफेसी एक्ट) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

सामान्य जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं)/गॅरेन्टर (ओं) /बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पास गिरवी रखी/प्रभारित की गई है, विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों (**"एआरसीआईएल"**) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए (पंजीकृत असाइनमेंट समझौतों के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्ति के असाइनमेंट के अनुसार), को अतिरिक्त ब्याज, शुल्कों और लागत आदि सहित बकाया राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से "जहां है", "जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी समर्थन के आधार पर" पर बेचा जाएगा, जैसा कि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("रूल्स") के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 ("एक्ट") के प्रावधानों के संदर्भ में नीचे बताया गया है।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता/ गॅरेन्टर / बंधककर्ता के नाम	एलएएन नंबर और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी सूचना की तिथि 28.02.2022 के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार और तिथि	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार और क्षेत्र	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई–नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ताः 1. निरंजन कुमार 2. कामोदवती	कर्ज खाता क्र. HHLGRG00375591 एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("ईएआरसी")	एआरसीआईएल–सीपीएस–IV–ट्रस्ट	रु. 18,52,835.53/- (रुपए अठारह लाख बावन हजार आठ सौ पैंतीस और तिरेपन पैसे मात्र) 02.02.2022 तक + अतिरिक्त ब्याज + कानूनी व्यय	सांकेतिक आधिपत्य 07.12.2022 को	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड – 535.40 वर्ग फीट (कार्पेट क्षेत्र)	रु. 2,75,000/- (रुपए दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)	रु. 27,50,000/- (रुपए सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)	12.11.2026 को दोपहर 02:30 बजे

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण : फ्लेट नंबर ए–307, तीसरी मंजिल, जिसका कारपेट एरिया 535.40 वर्ग फीट है और बालकनी एरिया 61.35 वर्ग फीट है, टावर – ए में प्रोजेक्ट जो "शॉफ आलयस" के नाम से प्रसिद्ध है, सेक्टर–102 में स्थित, गुरुग्राम–122001 हरियाणा।

लंबित मुकदमे जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य	ज्ञात ऋणभार/बकाया जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटे पहले	बोली वृद्धि की राशि :	जैसा कि बोली के दस्तावेज में उल्लिखित है
डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम से बनाया जाना है:	एआरसीआईएल–सीपीएस–IV–ट्रस्ट	सममूल्य पर देय	
आरटीजीएस के विवरण	एआरसीआईएल–सीपीएस–IV–ट्रस्ट, ट्रस्ट खाता संख्या – 57500001353101, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड,शाखा: कमला मिल, मुंबई, आईएफएससी कोड : HDFC0000542		
संपर्ककर्ता का नाम और नंबर	संजीव गोदारा – 0124-6910910; +91 70654 51024 (auctionhelpline@sammaancapital.com)		

नियम और शर्तें:

1. नीलामी बिक्री ई–नीलामी के माध्यम से वेबसाइट https://auction.arcil.co.in के माध्यम से और बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी ("एओ")/एआरसीआईएल को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली न होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
3. नीलामी के किसी भी चरण में, "एओ" बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/ बोली रद्द कर सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है।
4. सफल क्रेता/बोलीदाता को किसी भी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, खरीद पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा, जिसका लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को उसके पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए इसका भुगतान करना आवश्यक है।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दायित्वों, सुरक्षित संपत्ति के टाइटल और वैधानिक बकाया आदि सहित दावों/अधिकारों/बकाया के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ/उचित आकलन करना चाहिए। नीलामी विज्ञापन में एआरसीआईएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है और न ही होगा। एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी तृतीय पक्ष के किसी भी दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित नीलामी सूचना में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं; हालांकि अधोहस्ताक्षरी किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
7. उधारकर्ता/गॅरेन्टर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री सूचना को उपरोक्त उल्लिखित नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स के नियम 8 और 9 के तहत सूचना के रूप में मानेंगे।
8. यदि ऊपर निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है, तो एआरसीआईएल को सुरक्षित संपत्ति को नियमों और अधिनियम के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से बेचने का अधिकार है।

सही/–
प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
(एआरसीआईएल–सीपीएस–IV–ट्रस्ट के ट्रस्टी)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 17.09.2026